

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना सुमेरपुर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 958/2006 धारा**— **25 आर्म्स एक्ट में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **पीर अली पुत्र रज्जाक अली** नि0 पल्हरी थाना नरैनी जनपद बांदा को दोषसिद्ध करते हुए **03 वर्ष के कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड** से दिण्डत किया गया।



अभियोजक-एडीजीसी श्री अशोक कुमार शुक्ला



विवेचक-एसओ शशीन्द्र प्रसाद शुक्ला



पैरोकार- थाना सुमेरपुर का0 जगत सिंह